संख्या:210/2016/2218जेएल/22-3-16-100(53)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 09 जून, 2016***

विषय: जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध 05 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-14524/सामा-1(3)/12 भाग-।।।/मेरठ मं0/2011, दिनांक 17-05-2016 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध निम्नलिखित 05 (पॉच) विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदियों को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी** :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉं स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	जुबैर पुत्र श्री मेहरबान	जि0का0 मुजफ्फरनगर	जि0का0 लखीमपुर खीरी
2	मेहरबान पुत्र श्री अब्दुल मफूर	जि0का0 मुजफ्फरनगर	जि0का0 बहराइच
3	राहुल पुत्र श्री जवाहर	जि0का0 मुजफ्फरनगर	जि0का0 गोण्डा
4	नूर मो0 पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार	जि0का0 मुजफ्फरनगर	जि0का0 बलरामपुर
5	प्रभास उर्फ प्रभात पत्र श्री सुरेन्द्र	जि0का0 मुजफ्फरनगर	जि0का0 बस्ती

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारयण गिरि)
अनु सचिव।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:210/2016/2218जेएल(1)/22-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर/लखीमपुर खीरी/बहराइच/गोण्डा/बलरामपुर/बस्ती।
2. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर/लखीमपुर खीरी/बहराइच/गोण्डा/बलरामपुर/बस्ती।
3. वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर/लखीमपुर खीरी/बहराइच/गोण्डा/बलरामपुर/बस्ती।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।